संख्या : 10/2015 -434/छप्पन-15-94/2013 टी0सी0

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 20 मार्च, 2015

विषय : नागरिक उड्डयन विभाग की फ्लीट में सम्मिलित करने हेतु एक नये ट्विन इंजन टर्बोप्राप वायुयान का क्रय।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या- 846/ना0उ0इंजी0/पी04/2014(पी), दिनांक 02-3-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राजकीय उड़ान प्रतिबद्धताओं की पूर्ति हेतु नागरिक उड्डयन विभाग की फ्लीट में सम्मिलित करने हेतु विक्रय मूल्य 6,700,000-00 यू0एस0 डॉलर (बैंक चार्जेज सहित लगभग रूपये 65/- प्रति यू0एस0 डॉलर की दर से रूपये 43,55,00,000-00) पर एक नये ट्विन इंजन टर्बोप्राप वायुयान **King Air 250 (Model B-200 GT)** का क्रय **M/s. Beechcraft (Textron Aviation) U.S.A.** से करने का निर्णय लिया गया है। निगोशिएशन दिनांक 10-12-2014 (प्रतिलिपि संलग्न) एवं दिनांक 19-02-2015 (प्रतिलिपि संलग्न) में क्रेता विभाग एवं विक्रेता कम्पनी के मध्य हुई सहमति और तदनुसार विनिश्चित अनुबन्ध (प्रतिलिपि संलग्न) की शर्तों के अनुसार वायुयान के कुल मूल्य की 30 प्रतिशत धनराशि का भुगतान अग्रिम रूप में निर्माता कम्पनी को किया जाना है। अतः राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में नये ट्विन इंजन टर्बोप्राप वायुयान **King Air 250 (Model B-200 GT)** के क्रय हेतु निर्माता कम्पनी **M/s. Beechcraft (Textron Aviation) U.S.A.** को वायुयान के कुल मूल्य के भुगतान हेतु रूपये 43,55,00,000-00 (रूपये तैतालिस करोड पचपन लाख) मात्र की प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल मूल्य की 30 प्रतिशत धनराशि रूपये 13,06,50,000-00 (रूपये तेरह करोड़ छः लाख पचास हजार) मात्र का कम्पनी को अग्रिम भुगतान करने की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि उक्त निगोशिएशन में हुई उभयपक्षीय सहमति और तदनुसार विनिश्चित शर्तों के अनुसार निर्माता कम्पनी के साथ अनुबन्ध निष्पादन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न की जायेगी।

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन कृपया अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार निर्माता कम्पनी को अग्रिम भुगतान/अनुवर्ती भुगतान हेतु अपेक्षित समस्त कार्यवाही सम्पादित कराने का कष्ट करें तथा इनके स्तर से प्रकरण में हर स्तर पर समयानुसार कार्यवाही की जाय।

--2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- आपूर्ति/डिलीवरी से पूर्व निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप वायुयान और सहवर्ती उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।

4- उक्त अग्रिम भुगतान वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15(1)/69, दिनांक 25 अक्टूबर, 1983 एवं शासनादेश संख्या- ए-1-235/दस-2011-1(1)/69, दिनांक 10-6-2011 में दी गयी व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

5- अग्रिम का समायोजन प्रत्येक दशा में निर्माता कम्पनी से वायुयान की आपूर्ति कर दिये जाने पर तत्काल करा लिया जायेगा।

6- भुगतान करने की तिथि को प्रभावी विनिमय दर के अनुसार निर्माता कम्पनी को भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो उसे मार्जिन मनी एकाउण्ट में जमा कर दिया जायेगा।

7- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय- 03-हेलीकॉप्टर/वायुयान का क्रय-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के अशा0 संख्या- ई-7-260/दस-2015, दिनांक 20 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक - यथोक्त।

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 :10/2015-434 (1)/छप्पन-2015-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
5- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग अनुभाग-2
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in